मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचदश विधान सभा दशम सत्र

दिसम्बर, 2021 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

(3 पौष, शक संवत् 1943)

[खण्ड- 10] [अंक- 5]

मध्यप्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

(3 पौष, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.}

11.02 बजे **प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख**

(1) भोपाल नगर निगम क्षेत्र में गरीबों को कड़ाके की ठण्ड से बचाने की मांग संबंधी

श्री पी.सी. शर्मा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपाल नगर निगम ने जो नया बसेरा बनाए हैं यह सभी फुल हैं. कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है और एक हजार लोग सड़कों पर सो रहे हैं. इनका इन्तजाम सरकार को करना चाहिए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात प्रश्नकाल में नहीं आ सकती है. प्रतिदिन प्रश्नकाल को बाधित करने का एक तरीका प्रतिपक्ष अपना रहा है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्नकाल हो जाने दीजिए. (व्यवधान)

श्री पी.सी. शर्मा -- यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है. एक हजार लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर सो रहे हैं. इनका इन्तजाम सरकार को करना चाहिए. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- महत्वपूर्ण मामला है तो क्या यह शून्यकाल में नहीं आ सकता है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- आप बैठ जाइए प्रश्नकाल में न उठाएं. प्रश्नकाल होने दीजिए. शून्यकाल जब आएगा तब बात करना अभी बैठ जाएं. (व्यवधान)

(2) अनुपूरक बजट में आदिवासी वर्ग के लिए कम राशि का आवंटन किया जाना.

श्री ओमकार सिंह मरकाम -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है.

अध्यक्ष महोदय -- मैं प्रश्नकाल में एलाऊ नहीं करूंगा. प्रश्नकाल हो जाने दीजिएगा इसके बाद सुना जाएगा. मैं प्रश्नकाल में एलाऊ नहीं करुंगा. प्रश्न क्रमांक 1 श्री यशपाल सिंह सिसौदिया.

श्री ओमकार सिंह मरकाम -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए.

अध्यक्ष महोदय -- आप बैठ जाइए. हम ले लेंगे. प्रश्नकाल तो होने दीजिए. (व्यवधान)

श्री ओमकार सिंह मरकाम -- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट का टाइम दे दीजिए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- यह कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है जिसके लिए प्रश्नकाल को रोका जाए. आपकी बात है तो बाद में आ जाएगी. (व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- ओमकार जी यह गलत बात है. (व्यवधान)

श्री ओमकार सिंह मरकाम -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि अनुपूरक बजट में आपने 22 प्रतिशत आदिवासी वर्ग के लिए मात्र 400 रुपए दिए हैं. आप आदिवासी विरोधी हैं. मात्र 400 रुपए दिया है. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- आप अपनी बात शून्यकाल में रखिएगा. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- श्री यशपाल सिंह सिसौदिया जी के अलावा किसी का नहीं लिखा जाएगा.

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय -- आपका कुछ नहीं लिखा जा रहा है. मैं आपको शून्यकाल में बोलने का मौका दूंगा. (व्यवधान)

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- (XXX)

11.03 बजे **स्वागत उल्लेख**

श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, सांसद, खण्डवा का अध्यक्षीय दीर्घा में स्वागत

श्री विश्वास सारंग -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्षीय दीर्घा में खण्डवा के नवनियुक्त सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी उपस्थित हैं.

अध्यक्ष महोदय -- आज सदन की दीर्घा में खण्डवा के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल उपस्थित हैं. सदन की ओर से उनका स्वागत है.

11.05 बजे तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जेल में कैदियों को प्रदत्त सामग्री

[जेल]

1. (*क्र. 1112) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान में जेल में बंद कैदियों को प्रतिदिन दिये जाने वाले दैनिक कार्य उपयोगी वस्तुओं एवं भोजन की सूची उपलब्ध करायें, इसमें उपवास एवं रोजे होने पर दिये जाने वाले व्यंजन की जानकारी देवें तथा किस प्रकार से उपलब्ध कराये जाते हैं? नि:शुल्क या सशुल्क बतावें। **(ख)** दिनांक 01 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार बतायें कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर की सेन्ट्रल एवं जिला जेल में कैदियों के दैनिक उपयोग भोजन आदि का कितना भुगतान किस ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को किया गया? इस अवधि में कितना भंगार आदि की निलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई? **(ग)** वर्तमान में जेल विभाग के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर किस-किस प्रकार की विभागीय जांच चल रही है? दिनांक 01 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक जांच में कितने दोषी पाये गये? उनके नाम, पद एवं वर्तमान स्थिति बतावें तथा जेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दर्ज अपराध का भी विवरण देवें।

गृह मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्तमान में बंदियों को प्रतिदिन दिये जाने वाले दैनिक कार्य उपयोगी वस्तुओं एवं भोजन की सूची एवं उपवास एवं रोजे होने पर दिये जाने वाले व्यंजन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। उक्त सामग्री बंदियों को नि:शुल्क प्रदाय की जाती है। **(ख)** दिनांक 01 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार केन्द्रीय जेल इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं जिला जेल इन्दौर में बंदियों को दैनिक उपयोग भोजन आदि पर भुगतान की गई राशि का विवरण एवं भंगार से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** वर्तमान में जेल विभाग के दिनांक 01 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभागीय जॉंच की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। जॉंच में दोषी पाये अधिकारियों/कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है।

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रश्नकाल में जो प्रश्न माननीय सदस्यों के आते हैं माननीय मंत्रीगण अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग करते हैं. यह पहला अवसर है जब आपने इस छोटे से सत्र में उन तमाम सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाकर जो ब्रीफिंग की है उसके कारण से नया नवाचार हुआ है इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं. (व्यवधान)......

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- (XXX)

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. (व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय--मैं आपको शून्यकाल में बोलने का मौका दूंगा. आप बैठ जाइए प्रश्नकाल होने दीजिए. (व्यवधान)......

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे मध्यप्रदेश में जेलों में केदियों को मिलने वाला भोजन, नाश्ता चाय आदि को लेकर और अन्य मेरे प्रश्न में हैं मुझे जो परिशिष्ट मिला अ, ब और स उसमें प्रतिदिन भोजन और नाश्ते को लेकर (व्यवधान)......

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- अध्यक्ष महोदय, आप आदिवासियों की रक्षा कीजिए. (व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय--आदिवासियों की रक्षा सरकार कर रही है. आप चिंता मत कीजिए. केवल आप अकेले चिंता नहीं कर रहे हैं सभी चिंता कर रहे हैं. ओमकार जी आप बैठ जाइए प्रश्नकाल होने दीजिए. आपको शून्यकाल में समय देंगे (व्यवधान)......

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- ओमकार जी आप प्रश्नकाल क्यों बाधित कर रहे हैं विषय शून्यकाल के होते हैं प्रश्नकाल में नहीं होता है आप तो सीनियर हो गए हैं, मंत्री रहे हैं. (व्यवधान)......

डॉ.सीतासरन शर्मा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है. (व्यवधान)......

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- (XXX)

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नाश्ते की, भोजन की, चाय की जो तालिका मिली... (व्यवधान)......

श्री जयवर्द्धन सिंह-- (XXX) (व्यवधान)......

श्री पी.सी. शर्मा-- (XXX) (व्यवधान)......

श्री नारायण सिंह पट्टा--(XXX) (व्यवधान)......

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट पर चर्चा हो रही थी तब भाई ने मुंह में गुड़ रख लिया था. (XXX) अब पूरे प्रश्नकाल को बाधित कर रहा है. कौन सी बात कब कैसे कही जाती है और यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है(व्यवधान)......

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको अभी तक समझ में नहीं आ रही है यह सात-सात और तीन-तीन बार के विधायक हैं. (व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय-- यह मंत्री भी रहे हैं. मेरी बात सुन लीजिए. आप तीनों लोग पीसी शर्मा जी और आप दोनों आप तीनों ही मंत्री रहे हैं. प्रश्नकाल के दरमियान इस तरह की बातें नहीं उठाई जाती थीं या तो आपको स्थगन प्रस्ताव लाना था वह आपका आया नहीं. बजट में आप शामिल नहीं हुए. (व्यवधान)......

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- अध्यक्ष महोदय, कल चर्चा नहीं होने दी गई. (व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय-- चर्चा आपने नहीं की थी. चर्चा में चर्चा भाग आपने नहीं लिया. चर्चा हमने नहीं रोकी है.. आसंदी की तरफ से... (व्यवधान)......

श्री ओमकार सिंह मरकाम--(XXX) (व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय-- आसंदी की तरफ से टाईम अलॉट किया गया था. सारे बजट में चर्चा के लिए दो घण्टे का समय दिया गया था. कार्यमंत्रणा समिति के अनुसार वहां पर प्रजापति जी थे, गोविन्द सिंह जी थे, आपके नेता प्रतिपक्ष जी थे सभी ने मिलकर दो घण्टे का समय आलॉट किया था. आप सभी बैठ जाइए.. (व्यवधान)...... श्री विश्वास सारंग--अध्यक्ष महोदय, यह जो बोल रहे हैं यह कुछ भी रिकार्ड में नहीं आएगा. (व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय-- यह पहले ही कर दिया है. (व्यवधान)......

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- --(XXX) (व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय-- केवल यशपाल सिसौदिया जी का ही लिखा जाए. (व्यवधान)......

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- अध्यक्ष महोदय, मुझे जो परिशिष्ट प्राप्त हुआ है परिशिष्ट को देखकर, पढ़कर मुझे प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी हुआ है. कैदियों को लेकर आज नाश्ता और भोजन का जो शेड्यूल है ऐसा लगता है कि किसी होटल में हम गए हैं और उस होटल में आर्डर कर रहे हों. (व्यवधान)......

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति--(XXX)

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि यह जो चाय नाश्ता और भोजन का शेड्यूल बना है (व्यवधान)...... माननीय

अध्यक्ष महोदय, वह जो मीनू तैयार किया गया है, उसका वास्तविक पालन हो रहा है, उसका कोई भौतिक सत्यापन जेलों में होता है कि नहीं ? मैं माननीय मंत्री जी से, आपका संरक्षण चाहते हुए आग्रह करूंगा कि 15 वर्ष पूर्व जेलों में संदर्शक समितियां हुआ करती थीं, जो समय-समय पर वहां जाती थीं. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चाय-नाश्ता-भोजन और पर्व के समय मिलने वाला विशेष आहार इस सभी की समय-समय पर गुणवत्ता और जेल में कैदियों को वह ठीक ढंग से मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि जो सूची जारी हुई है, उसमें तमाम प्रकार के व्यंजन हैं, जिन्हें सुनकर हमें आश्चर्य हो रहा है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि संदर्शक समितियों को जीवित किया जाये और उनके साथ-साथ स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्षों और क्षेत्रीय विधायकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाये. यह मेरा पहला प्रश्न, माननीय मंत्री जी से है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि आप कृपया पहले इन्हें चुपकर करवा दीजिये, ये बजट पर बोले नहीं, इनके नेता कुछ बोले नहीं, ऐसे में कोई भी बात समझ नहीं आती है. कल ये और इनके नेता मुंह में गुड़ रखकर बैठ गए थे.

श्री ओमकार सिंह मरकाम- (XXX)

श्री जयवर्द्धन सिंह- (XXX)

....(व्यवधान)....

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया- ओमकार भाई, बहुत हो गया अब तो बैठ जाओ.

अध्यक्ष महोदय- इनका कुछ नहीं लिखा जा रहा है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आगे गोविंद सिंह जी टोपी लगाकर बैठे हैं, ये इनको समझा नहीं रहे हैं. इनको पता ही नहीं चल रहा है ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है. (श्री ओमकार सिंह मरकाम, श्री जयवर्द्धन सिंह, डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ और श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) की ओर इशारा करते हुए) ये चार लोग यहां खड़े हुए हैं और चारों के विषय अलग-अलग थे. आप अचंभा तो देखिये, चार लोग खड़े हुए हैं और चारों के विषय अलग हैं. मैं यशपाल जी की सुनूं कि इनकी सुनूं.

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय- यहां जितने भी लोग खड़े हैं, सभी के विषय अलग-अलग हैं.

(X X X) -- आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया- माननीय मंत्री जी, आप तो मेरी सुनें, मेरा विषय महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के साथी तो कुछ भी बोल रहे हैं. मेरा तो प्रश्न लगा हुआ है.

अध्यक्ष महोदय- कृपया आप सभी बैठ जायें. प्रश्न काल चलने दें.

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.)- संसदीय मंत्री जी, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें.

अध्यक्ष महोदय- प्रजापति जी, आप आसंदी पर रह चुके हैं, आप कृपया बैठ जायें. विजय लक्ष्मी जी, आप कृपया पहले मेरी बात सुन लें. मैं आज पुन: कह रहा हूं कि आज प्रश्न काल में प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 और 25 कांग्रेस की साथियों के हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग प्रश्न लगाते हैं लेकिन चर्चा नहीं करना चाहते हैं.

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय- आपने जनता की समस्याओं के लिए आपने यहां प्रश्न लगाये हैं लेकिन आप उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. आप जनता की समस्याओं की चिंता करिये और प्रश्न आने दीजिये. ये आपके प्रश्न लगे हुए हैं और जन-अपेक्षाओं के लिए प्रश्न लगे हुए हैं.

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.)- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में शब्दों का सही उपयोग हो.

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है.

....(व्यवधान)....

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.)- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या है ? वह बोल रहा है, वो बोल रहा है, मैं इस सदन का सदस्य हूं. (आसंदी की ओर हाथ से इशारा करते हुए.)

डॉ. नरोत्तम मिश्र- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देखिये, ये हमारे प्रजापति भाई स्वयं इस आसंदी पर रहे हैं और इस आसंदी पर उंगली उठा रहे हैं. इनको हया है ? इन्होंने कभी हया शब्द सुना है, हया नाम की चीज़ है आपके पास, आप स्वयं आसंदी पर बैठते थे और आसंदी पर उंगली उठा रहे हैं, इस दुनिया में हया नाम की चीज़ है कि नहीं ?

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है. मुझे बोलने दिया जाये.

अध्यक्ष महोदय- नहीं, प्रश्न काल हो जाने दीजिये.

डॉ. नरोत्तम मिश्र- बहन, प्रश्न काल में प्वाईंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है.

....(व्यवधान)....

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के शब्दों पर मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है. आपने जो सम्मानीय भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष के लिए जिन शब्दों का उच्चारण किया है- वो बोल रहा है. ये माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, आपने कहा कि वो बोल रहा है, जो कि असम्मानजनक है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र- मैंने क्या बोला ?

....(व्यवधान)....

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ- आपने कहा कि वो बोल रहा है. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी बात को मजाक में ले रहे हैं. संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस सदन में सही शब्दों का उपयोग करें और आप जो बोलेंगे, उसी का नए सदस्य अनुकरण करेंगे.

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय- मेरे आग्रह के बाद भी, बार-बार कहने पर भी कि सबसे ज्यादा प्रश्न आज कांग्रेस के मित्रों के लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रश्नों पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, विधान सभा चलने नहीं दी जा रही है इसलिए मैं प्रश्न काल को स्थगित करता हूं और विधान सभा तब तक के लिए स्थगित की जाती है.

(11.15 बजे सदन की कार्यवाही 12.00 तक के लिए स्थगित की गई.)

12.04 बजे { अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए् }

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र):- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट आफ आर्डर है.

श्री ओमकार सिंह मरकाम:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों की विरोधी सरकार है. (व्यवधान) आदिवासियों के लिये सिर्फ 400 रूपये दिये हैं, 19 हजार करोड़ रूपये में से.(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों की विरोधी सरकार है.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- आप बैठ जाइये, आपका भी सुन लेंगे, उनका भी सुन लेंगे. अभी संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, आपको सुन लेंगे, आप चिंता मत करो...(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मित्र:- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.यह विपक्ष लगातार प्रश्न काल को बाधित कर रहा है. मैंने ऐसा (XXX) विपक्ष नहीं देखा, जो चर्चा से भागता है. ..(व्यवधान).. चर्चा से भागने वाला विपक्ष कभी सदन में नहीं रहा. यह फ्लोर हमें संवाद के लिये मिलता है, है,यह फ्लोर हमें चर्चा के लिये मिलता है. यहां बाहुबल का नहीं, बुद्धिबल का प्रयोग होता है. ..(व्यवधान).. इनमें बुद्धि है तो यह परिचय दें. माननीय अध्यक्ष जी, इसमें आपकी व्यवस्था आना चाहिये. आपकी ओर से कोई व्यवस्था आये, रूलिंग आनी चाहिये कि कम से कम यह विपक्ष प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करे. .. (व्यवधान)

श्री बाला बच्चन:- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में सिर्फ 400 करोड़ रूपये की राशि आदिवासियों के लियेय रखी है. हम इसका विरोध करते हैं. यह आदिवासियों का अपमान है, क्षेत्र में सड़कें बनना चाहिये, नव-निर्माण और विकास के काम होना चाहिये. (व्यवधान) मात्र 400 करोड़ रूपये का बजट रखा है और यह आदिवासियों का अपमान किया है. उनके बजट को..(व्यवधान).. बजट पर चर्चा होती तो हम यह सारी चीजें हम सदन में उठाते.(व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मित्र:- माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष नियमों के परखच्चे उड़ा रहा है. ऐसा (XXX) विपक्ष, ऐसा (XXX) विपक्ष आज तक नहीं देखा. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:-बैठ जाइये, सुन लीजिये, बैठ जाइये, मैं खड़ा हूं ना. (व्यवधान) मैं खड़ा हूं आप बैठ जाइये. बाला बच्चन जी, ओमकार सिंह जी, प्रजापति जी बैठ जाइये. (व्यवधान) आप सुन लीजिये मैं प्रतिपक्ष के तमाम सदस्यों से आग्रह करता हूं कि एक बार बैठ जाइये.(व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग:- इनके नेता चले गये और वो बोल कर गये कि हंगामा करो. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- आप बैठ जाइये, सुन तो लीजिये. सज्जन सिंह जी, कांतिलाल जी, सुन लीजिये थोड़ा सा. आप बैठ जाइये. (व्यवधान) मैं प्रश्नकाल के दरम्यान बार-बार यह कहने के बाद कि कांग्रेस के साथियों के सबसे ज्यादा प्रश्न लगे हैं. (व्यवधान) और मैं कई बार आसंदी पर खड़ा था

और खड़ा होने के बाद भी बैठने के लिये कह रहा था, आप बैठ नहीं रहे थे, यह शायद ठीक नहीं है. इसने वाकई में मुझे दुखित किया है, मैं इससे क्षुब्ध हूं. मैं अब आगे की कार्यवाही के लिये बढ़ता हूं, आप अपनी सीट पर जाइये. (व्यवधान)

12.05 बजे **गर्भगृह में प्रवेश एवं धरना**

इंडियन नेशनल कांगेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश एवं धरना

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण आदिवासियों क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु अनुपूरक बजट में पर्याप्त राशि न दिये के विरोध में गर्भगृह में प्रवेश किया एवं धरने पर बैठ गये.)

12.06 बजे **नियम 267-क के अधीन सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :-

नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 34 सूचनाएं नियम 267- क(2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है, यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी । इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा ।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है । अब मैं सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा ।

क्र.	सदस्य का नाम
1	डॉ.सतीश सिकरवार
2	श्री आरिफ अकील
3	श्री देवेन्द्र सिंह पटेल
4	श्री रामपाल सिंह
5	इंजी. प्रदीप लारिया
6	श्री महेश परमार
7	श्री पांचीलाल मेड़ा
8	श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा

क्र.	सदस्य का नाम
9	श्री संजय यादव
10	डॉ. सीतासरन शर्मा
11	श्रीमती कृष्णा गौर
12	श्री देवेन्द्र वर्मा
13	श्री अजय कुमार टंडन
14	श्री प्रताप ग्रेवाल
15	श्री प्रदीप पटैल
16	श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय
17	श्री सुरेश राजे
18	श्री कमलेश्वर पटेल
19	श्री कुणाल चौधरी
20	श्री श्यामलाल द्विवेदी
21	श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौदा

क्र.	सदस्य का नाम
22	श्री बहादुर सिंह चौहान
23	श्री आशीष गोविन्द शर्मा
24	श्री नारायण सिंह पट्टा
25	श्री निलय विनोद डागा
26	श्री तरूण भनोत
27	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
28	श्री प्रियव्रत सिंह
29	श्री मुरली मोरवाल
30	श्री संजय शुक्ला
31	श्री आलोक चतुर्वेदी
32	श्री संजीव सिंह
33	श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी
34	श्री शरद जुगलाल कौल

12.07 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (श्री रामखेलावन पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की कंडिका 13 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूं.

12.08 बजे

समितियों का निर्वाचन

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन.

अध्यक्ष महोदय:- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं. चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं. अत: मैं, वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि में सेवा करने के लिए, निम्नलिखित सदस्यों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं.

1. श्री जयसिंह मरावी
2. श्रीमती सुलोचना रावत
3. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
4. इंजी. प्रदीप लारिया
5. श्री मेवाराम जाटव
6. श्री मनोज चावला
7. डॉ. अशोक मर्सकोले
8. श्री कमलेश जाटव
9. श्री दिलीप मकवाना
10. डॉ. योगेश पण्डाग्रे
11. डॉ. हिरालाल अलावा

मैं, इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं.

पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन.

अध्यक्ष महोदय:- पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं. चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं. अत: मैं, वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि में सेवा करने के लिए, निम्नलिखित सदस्यों को पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं.

1. श्री जालम सिंह पटेल
2. श्री बहादुर सिंह चौहान
3. श्री कमलेश्वर पटेल
4. श्री दिनेश राय 'मुनमुन'
5. श्री बैजनाथ कुशवाहा
6. श्री सुनील सराफ
7. श्रीमती कृष्णा गौर
8. श्री प्रदीप पटेल
9. श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी
10. श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा
11. श्रीमती सुनीता पटैल

मैं, श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं.

12.09 बजे

ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय:- आज की कार्य सूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा उनके संबंध में संबंधित माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य सदन के पटल पर रखे हुए माने जाएंगे.:-

(1) श्री हर्ष यादव,

(2) श्री शरदेन्दु तिवारी,.

(3) सर्वश्री श्यामलाल द्विवेदी, आशीष गोविंद शर्मा,

(4) श्री तरबर सिंह,.

(5) श्री सज्जन सिंह वर्मा,

(6) श्री रामपाल सिंह

(7) डॉ. सीतासरन शर्मा,

(8) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अक़ील,

(9) श्री बहादुर सिंह चौहान,

(10) सर्वश्री जितू पटवारी, कुणाल चौधरी, विपिन वानखेड़े,

(11) श्री आशीष गोविंद शर्मा,

(12) श्री संजय यादव,

(13) श्री ओमकार सिंह मरकाम,

(14) श्री सुनील सराफ,

(15) श्री शैलेन्द्र जैन,

(16) श्री सज्जन सिंह वर्मा,

(17) डॉ. अशोक मर्सकोले,

(18) सर्वश्री प्रियव्रत सिंह, जयवर्द्धन सिंह, रामचन्द्र दांगी,

(19) श्रीमती कृष्णा गौर,

(20) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल,

(21) श्री हर्ष विजय गेहलोत,

12.10 बजे **अनुपस्थिति की अनुज्ञा**

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-142 सांची (अ.जा.) के सदस्य डॉ.प्रभुराम चौधरी एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-82 धौहनी (अ.ज.जा.) के सदस्य श्री कुंवर सिंह टेकाम की दिसम्बर,2021 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-142-सांची (अ.जा.) के सदस्य डॉ.प्रभुराम चौधरी एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-82 धौहनी (अ.ज.जा.) के सदस्य, श्री कुंवर सिंह टेकाम की ओर से मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है. जिसमें उन्होंने दिसम्बर, 2021 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है.

डॉ.प्रभुराम चौधरी, सदस्य की ओर से प्राप्त निवेदन इस प्रकार है :-

1. ‘‘ दिनांक 20 दिसम्बर से 24 दिसम्बर, 2021 तक अपनी पुत्री के पास उरुग्वे की विदेश यात्रा पर रहने के कारण विधान सभा सत्र से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है. ’’ तथा

श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य की ओर से प्राप्त निवेदन इस प्रकार है :-

2. ‘‘ मेरे बड़े भाई श्री जयराम सिंह का दिनांक 18.12.2021 को आकस्मिक निधन हो गया है. जिस कारण मैं विधान सभा के शीतकालीन सत्र में उपस्थित नहीं हो सकता हूं. ’’

क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-142 सांची (अ.जा.) के सदस्य, डॉ.प्रभुराम चौधरी एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-82 धौहनी (अ.ज.जा.) के सदस्य, श्री कुंवर सिंह टेकाम को इस सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाये ?

अनुज्ञा प्रदान की गई.

(व्यवधान)

12.11 बजे **प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव**

विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में वृद्धि का प्रस्ताव

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, विशेषाधिकार समिति :– अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम–228 के अंतर्गत प्रस्ताव करता हूँ कि :–

1. श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा कलेक्टर गुना के विरूद्ध।
2. डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री के.पी. त्रिपाठी, श्री श्यामलाल द्विवेदी एवं श्री संजय सत्येन्द्र पाठक द्वारा श्री सभाजीत यादव, आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा के विरूद्व।
3. डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा श्री हरेन्द्र नारायण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इटारसी के विरूद्व।
4. डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा श्री हरेन्द्र नारायण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इटारसी के विरूद्व।

विशेषाधिकार समिति को संदर्भित सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि की जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

1. श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा कलेक्टर गुना के विरूद्ध।
2. डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री के.पी. त्रिपाठी, श्री श्यामलाल द्विवेदी एवं श्री संजय सत्येन्द्र पाठक द्वारा श्री सभाजीत यादव, आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा के विरूद्व।
3. डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा श्री हरेन्द्र नारायण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इटारसी के विरूद्व।
4. डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा श्री हरेन्द्र नारायण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इटारसी के विरूद्व।

विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे.)

12.12 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय-- आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी.

12.13 बजे **विशेषाधिकार के संबंध में नियम 169 के अंतर्गत सदन को सूचना.**

अध्यक्ष महोदय--मैंने डॉ.सीतासरन शर्मा द्वारा श्री हरेन्द्र नारायण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इटारसी के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु सौंप दिया है.

12.14 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021

वन मंत्री (डॉ. कुँवर विजय शाह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021** पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021** पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021** पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

वन मंत्री (डॉ. कुँवर विजय शाह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021** पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021** पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021** पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(...व्यवधान के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे)

(2) **ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021)**

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री (श्री ओम प्रकाश सखलेचा) - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण **(संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.**

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 **विचार किया जाए.**

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

(...व्यवधान के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे)

श्री ओम प्रकाश सखलेचा - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.(...व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

12:17 बजे **अशासकीय संकल्प**

अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिया जाना

अध्यक्ष महोदय - आज की कार्यसूची में उल्लेखित माननीय सदस्यों के 04 अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिए जाएंगे. (...व्यवधान)

12.18 बजे **राष्ट्रगान**

अध्यक्ष महोदय - अब राष्ट्रगान जन गण मन होगा.

(सदन में राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.)

12.19 बजे **सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना**

अध्यक्ष महोदय - विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित.

अपराह्न 12.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए.पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधानसभा

भोपाल

दिनांक : 24 दिसम्बर, 2021